प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 13 फरवरी, 2025**

विषय:- **मैसर्स प्रोजेक्ट कॉऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उ0प्र0 चतुर्थ तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के कृषि श्रृंखला विकास, अच्छादन/उत्पादन/उत्पादकता के आकलन और साक्ष्य आधारित प्रस्ताव हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0-15.00 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-5.00 करोड़ (रूपया पांच करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 हेतु शासनादेश संख्या-279/2024/596/58-2-2024-1815040, दिनांक 11.07.2024 द्वारा 27-सब्सिडी मद में रू0 30000.00 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गयी है।

3. उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-133/58-2-2023-04/2022, दिनांक-24.02.2023 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक: 10.10.2023 को **मैसर्स प्रोजेक्ट कॉऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उ0प्र0 चतुर्थ तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के कृषि श्रृंखला विकास, अच्छादन/उत्पादन/उत्पादकता के आकलन और साक्ष्य आधारित प्रस्ताव हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4. अवगत कराना है कि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेखानुसार **मैसर्स प्रोजेक्ट कॉऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उ0प्र0 चतुर्थ तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के कृषि श्रृंखला विकास, अच्छादन/उत्पादन/उत्पादकता के आकलन और साक्ष्य आधारित प्रस्ताव हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रथम किश्त रू0-5.00 करोड़ (रूपया पांच करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय शासनादेश संख्या-128/2023/1022/833/58-2-2023-600(73)/2023, दिनांक: 28.11.2023 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

5. परियोजना समन्वयक, प्रोजेक्ट कोकोआर्डिकोआर्डिनेशनकोआर्डिनेशन युनिट, यू0पी0 डास्प, उ0प्र0/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक-2034/571-2034/571/EOI/Meadi/2022-23, दिनांक 17.01.2017 में किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में किये गये के लिए **मैसर्स प्रोजेक्ट कॉऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उ0प्र0 चतुर्थ तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के कृषि श्रृंखला विकास, अच्छादन/उत्पादन/उत्पादकता के आकलन और साक्ष्य आधारित प्रस्ताव हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु द्वितीय किश्त रू0-5.00 करोड़ (रूपया पांच करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के प्रावधानों एवं तत्संबंध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-08/2023/84/58-2-2023-4/2022, दिनांक-02.02.2023 एवं शासनादेश संख्या-32/2023/293/58-2-2023-4/2022, दिनांक-11.04.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि की पृथम किश्त की धनराशि संस्था के टर्मलोन खातें में निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अनुदान हेतु स्वीकृत धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के दिशा- निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

(5) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण/भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(9) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण-अनुभाग (व्ययक-आय) व्यय वित्त/1 के कार्यालयज्ञाप सं-0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-13/2025/121(1)/58-2-2025, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, प्रयागराज।
(2) जिलाधिकारी, **लखनऊ** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(9) संबंधित संस्था।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in